प्रशासन ने सूचित किया है कि उन्होंने घुसपैठियों और गैर-कानूनी आप्रवासियों को कोई राशन कार्ड जारी नहीं किया है ।

1761. *[Transferred to 17th August, 1993.]*

Malfunctioning of Consumer Protection Agencies

1762, SHRI S.S. AHLUWALIA: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Consumer Protection Act, 1986 is not being properly implemented because many of the District, Fora are not functioning properly and some State Consumer Protection Councils are also not meeting regularly;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) what remedial action Government propose to take in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI KAMALUDDIN AHMED): (a) to (c) As per information available with the Central Government, 452 District Fora are functioning in the country. Similarly, State Consumer Protection Councils have been set up in all the States/UTs. The Act does not extend to the State of Jammu and Kashmir. The proper functioning of District Fora and State Consumer Protection Councils is the responsibility of the State Governments. The Central Government has received a few complaints where District Fora are not functioning properly and State Consumer Protection Councils are not meeting regularly State Governments have been asked to take remedial action in the matter.

जाली राशन कार्डों का प्रचलन में होना

1763. **श्री राम सिंह राठवा :** क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार के प्रयत्नों के बावजूद भी जाली राशन कार्ड प्रचलन में हैं ;

(ख) यदि हां, तो गत छह महीनों के दौरान राज्य-वार कितने जाली राशन कार्डों का पता लगाया गया है ; और

(ग) इस मामले में अधिकारियों की मिलीभगत होने की संभावना का पता लगाने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किये हैं?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कार्यान्वित करने में संचलनात्मक जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है । राशन कार्ड जारी करने, हकदारी के मानदंड आदि के बारे में निर्णय उनके द्वारा किए जाते हैं। राज्य प्रशासन के अधिकारी अपने प्रशासकीय कार्यों के अंग के रूप में नियमित जांच करते हैं तथा अचानक दौरे करते हैं और जाली राशन कार्डों अथवा जाली यूनिटों को समाप्त करने सहित आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा इसी प्रकार के अन्य कानूनों के उपबंधों को लागू करते हैं । राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार गत छः महीनों के दौरान 31-7-93 तक लगभग 6.89 लाख जाली कार्डों को समाप्त किए जाने की सूचना है। इसमें पंजाब तथा गोवा और संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ व पांडिचेरी की राज्य सरकारों के संबंध में आंकड़े शामिल नहीं हैं ।